[2019] 3 एस. सी. आर 382

अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस.

वी.

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 2388-89 2019 का)

फरवरी 28,2019

जुडाय उमेश ललित और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

सेवा कानूनः

नियुक्ति-चाहे अस्थायी हो या मूल पदों के खिलाफ-वेतन संशोधन-चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त व्याख्याताओं/प्रोफेसरों को-इस आधार पर कि पद थे

अस्थायी-उस आदेश/संकल्प को चुनौती देने वाली लिखित याचिका जिसके द्वारा

अपीलार्थियों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया माना गया-विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विचाराधीन संस्थान एक स्व-वित्तपोषित संस्थान था और इसलिए संबंधित विश्वविद्यालय के कानून ऐसे संस्थानों के शिक्षकों पर लागू नहीं थे-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि अपीलार्थी विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे-रिट अपील में आदेश को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई-अपील पर, कहा गयाः मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थियों की नियुक्ति नहीं की गई थी

अस्थायी और उन्हें मूल पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया था-विश्वविद्यालय से खुद को अलग करने में भी सही नहीं था

विचाराधीन संस्था-इस प्रकार, अपीलार्थियों को वेतन संशोधन के लाभ के विस्तार के दायरे को सीमित करने का कोई कारण नहीं था।

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985। 2 (30) .

अपीलों को अनुमति देना और एसएलपी को अलग करना, न्यायालय

पकड़नाः 2019 की सिविल अपील Nos.2388-89:

1.1 किसी भी स्तर पर, इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षकों के पदों को संविदात्मक या संविदात्मक के रूप में संदर्भित या वर्णित नहीं किया गया था। अंशकालिक आधार। उनके नियुक्ति आदेशों में कुछ भी उल्लेख नहीं था कि नियुक्तियां अनुबंध या अंशकालिक आधार पर थीं। नियुक्ति आदेशों में वास्तव में कहा गया था कि नियुक्ति विश्वविद्यालय के कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। सभी दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि नियुक्तियाँ

382 अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस।

अपीलार्थी संविदात्मक आधार पर या सीमित अवधि के लिए नहीं थे। जब भी नियुक्तियां सीमित अवधि के लिए या अनुबंध के आधार पर होती थीं, तो हमेशा एक स्पष्ट शर्त होती थी

संबंधित संकल्प या अधिसूचना में किया गया। अभिलेख पर तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थियों की नियुक्तियां स्थायी आधार पर की गई थीं और उन्हें नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि उनकी नियुक्तियाँ मूल आधार पर थीं और अनुबंध के आधार पर या सीमित अवधि के लिए नहीं थीं। [पैरा 8] [396-डी-एच; 397-ए]

1.2 विश्वविद्यालय द्वारा 04.08.1999 पर जारी आदेश ने केरल सरकार के वेतन संशोधन, 1997 के लाभों को गैर-शिक्षण (तकनीकी) कर्मचारियों तक बढ़ा दिया। राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लिए वेतन के संशोधित पैमाने को लागू करने के लिए केरल सरकार द्वारा 18.05.2000 पर जारी आदेश में संशोधन के विस्तार पर विचार किया गया है।

01.01.1996 से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित AICTE की सिफारिशें। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षकों को इसी तरह के लाभ दिए गए थे, लेकिन लाभ सीमित थे और प्रभाव 01.01.1996 के बजाय 01.01.2001 से दिया गया था। रिकॉर्ड पर कोई कारण उपलब्ध नहीं है कि इस तरह के लाभ को क्यों प्रतिबंधित किया गया था और केवल एक ही स्पष्टीकरण दिया गया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षकों को अस्थायी रूप से तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। जैसा कि तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थियों की नियुक्तियां अस्थायी नहीं थीं और उन्हें मूल पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जो निम्नलिखित के अनुसार बनाए गए थेः

संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित प्रस्तावों में लाभों के विस्तार के दायरे को सीमित करने का कोई कारण नहीं था। यहां तक कि

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य ने दिनांकित 18.04.2001 पत्र में चिंता व्यक्त की कि कॉलेज में शिक्षक अस्थायी नहीं हैं और अन्यथा वे कुछ वित्तीय लाभों के विस्तार के हकदार होंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदम इस आधार पर हैं कि स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक स्व-वित्तपोषित संस्थान था जिसे सरकार/अखिल भारतीय परिषद से कोई अनुदान नहीं मिल रहा था और यह विश्वविद्यालय के कानूनों के तहत सूचीबद्ध 20 विभागों का हिस्सा नहीं था। [2019] 3 एस. सी. आर. के अभिलेख पर कुछ भी नहीं है।

यह इंगित करता है कि जब स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज की स्थापना की गई थी तो विश्वविद्यालय या उसके सक्षम निकायों द्वारा एक अलग संस्थान के रूप में ऐसे स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज की स्थापना के लिए कोई संकल्प या निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय ने आई. डी. 1 पर ए. आई. सी. टी. ई. से सशर्त मंजूरी प्राप्त की थी और उसके बाद उक्त पदों के लिए पदों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए थे। विश्वविद्यालय खुद को अलग नहीं कर सकता है और दावा करता है कि स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग

विश्वविद्यालय के हिस्से के अलावा। [पैरा 9] [397-बी-एच]

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा तैयार किया गया जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित किया गया था, यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को स्थायी संकाय का हिस्सा दिखाया गया था और उन्हें विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी होने का अनुमान लगाया गया था। इसलिए विश्वविद्यालय की ओर से एक ही संकाय को अनुबंध के आधार पर या सीमित अवधि के लिए ब्रांड करना उचित नहीं होगा। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि वित्तीय वर्षों 2015-2016 और 2016 के लिए बजट के दौरान 2017 , स्व-वित्तपोषित संस्थानों की आय और व्यय को विश्वविद्यालय निधि में शामिल किया गया था और इस प्रकार स्व-वित्तपोषित संस्थान विश्वविद्यालय के दायरे में थे। [पैरा 10] [398-ए-सी]

1.4 डिवीजन बेंच द्वारा वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के खिलाफ फैसला देने के बाद भी और जबकि उनकी समीक्षा की गई थी

डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित, अलग से स्थापित कार्यवाही में, उसी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उसी स्व-वित्तपोषित संस्थान के कुछ अन्य शिक्षकों द्वारा उठाई गई इसी तरह की चुनौती को स्वीकार किया था और अपने दिनांकित आदेश द्वारा 07.12.2016 उनके पक्ष में फैसला हुआ था। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 07.12.2016 आदेश की पुष्टि की गई और उससे विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। [पैरा 12] [399-बी-सी]

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 4251-4252 2018 काः

2. चूंकि विशेष अवकाश याचिका में विश्वविद्यालय द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों से पता चलता है कि

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से नियुक्ति को अस्थायी, अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. निर्धारित किया था।

वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस।

इस मामले को अलग किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि इसे उचित समय पर उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। [पैरा 14]

[399 - एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.2388

89 2019 का

के साथ

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) Nos.4255-4256।

केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम में 2014 के डब्ल्यू. ए. <आई. डी. 1 में दिनांक 20.11.2015 और 20.09.2017 के निर्णय और आदेश से क्रमशः 2003 के ओ. पी. No.3818 और 2016 के आर. पी. <आई. डी. 2 में।

आर. बसंत, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सी. एन. श्री कुमार, सुश्री प्रिया बालकृष्णन, अमित शर्मा, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, करण शर्मा, अरुण मेवाड़, कृष्ण कुमार सिंह, प्रियश द्विवेदी, सुश्री श्रेयाली कंवर, सुश्री प्रसीना एलिजाबेथ जोसेफ, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, अधिवक्ता। के लिए

दिखाई देने वाली पार्टियाँ।

उदय उमेश ललित, जे।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 4251-4252 2018 का

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी एर्नाकुलम (i) दिनांकित केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेशों पर सवाल उठाते हैं।

20.11.2015 2003 की मूल याचिका No.3818 और 2014 की रिट अपील No.442 में 2016 की समीक्षा याचिका No.151 में दिनांकित 20.09.2017 से उत्पन्न 2014 की रिट अपील No.442 में।

3. अपीलार्थियों के अनुसार, उन्हें सिंडिकेट के प्रस्ताव द्वारा बनाए गए मूल पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ('विश्वविद्यालय', संक्षेप में) ए. आई. सी. टी. ई. 1 वेतनमान पर, चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो संबंधित विश्वविद्यालय के कानूनों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन कर रहे थे; और, सेवा का एक वर्ष पूरा होने पर, विश्वविद्यालय ने घोषित किया कि

अपीलार्थियों ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो। लेकिन द.

विश्वविद्यालय ने इस प्रकार नियुक्त शिक्षकों के वेतन संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया, जिसमें अपीलकर्ताओं ने उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त बताया। इसके कारण 2003 का ओ. पी. No.3818 दाखिल किया गया जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच ने अपील में वरीयता दी

विश्वविद्यालय द्वारा हालांकि एकल न्यायाधीश के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और बाद में, समीक्षा याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया, जिससे इन अपीलों को विशेष अनुमति द्वारा दायर किया गया।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः

ए. आई. सी. टी. ई. से सशर्त अनुमोदन प्राप्त करने के बाद

31.05.1996 , विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने अपनी दिनांकित 06.07.1996 बैठक में कुछ विषयों में B.Tech पाठ्यक्रम शुरू करने का संकल्प लिया। उक्त विषयों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के पद सृजित करने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही, ज्यामितीय ड्राइंग, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और मानविकी जैसे कुछ विषयों के शिक्षकों को अनुबंध/अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना था। संबंधित भाग

संकल्प इस प्रकार थाः

" ए. आई. सी. टी. ई. पैमाने पर निम्नलिखित पद सृजित करने का संकल्प लिया गया

ए. आई. सी. टी. ई. योग्यताओं के साथ वेतन, के माध्यम से भरा जाएगा विज्ञापन।

$ 1 .

का पैमाना

संख्या

पोस्ट

नहीं।

भुगतान करें।

(रुपये में)।

1 . किसी एक में विशेषज्ञता के साथ प्रोफेसर

1

4500

7300 /

निम्नलिखित शाखाओं में सेः

(इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स

& संचार

इंजीनियरिंग, पॉलिमर इंजीनियरिंग और

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग)

4500

2 . प्रोफेसर

3

(इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक-एक

7300 /

संचार अभियांत्रिकी, पॉलिमर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान और

इंजीनियरिंग)

3 . व्याख्याता

6

2200

इलेक्ट्रानिक्स और

(दो।

4000 /

संचार अभियांत्रिकी, पॉलिमर

इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और

इंजीनियरिंग)

1

2200

4 . गणित में व्याख्याता

4000 /

5 . कार्यशाला फोरमैन

1

1640

2900 /

5

6 .

व्यापार प्रशिक्षक

975

(फाउंड्री, फिटिंग में एक-एक,

1660 /

बढ़ईगीरी, शीट धातु, मशीन की दुकान)

7 . ट्रेड्स मैन

825

5

1250 / अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

निम्नलिखित संबद्ध विषयों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा -

अनुबंध/अंशकालिक आधार पर।

1. ज्यामितीय ड्राइंग

2. भौतिकी

3. रसायन विज्ञान

4. गणित

5. मानविकी "।

C. 25.08.1997 पर विश्वविद्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें 05.08.1997 पर आयोजित विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में शिक्षण और शिक्षा के निर्माण के बारे में पारित प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थोडुपुड़ा के लिए गैर-शिक्षण (तकनीकी) पद निम्नानुसार हैं:

" आदेश

निदेशक, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बी. टेक पाठ्यक्रमों के दूसरे बैच की शुरुआत को देखते हुए शिक्षण और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता की सूचना दी है। प्राचार्य, विश्वविद्यालय

इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने बी. टेक के लिए ए. आई. सी. टी. ई. मानदंडों और कार्यभार के अनुसार शिक्षण और तकनीकी पद बनाने का प्रस्ताव रखा है। कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/पॉलिमर प्रौद्योगिकी में

पाठ्यक्रम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंडिकेट ने 05.08.1997 पर आयोजित अपनी बैठक में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थोडुपुड़ा के लिए निम्नलिखित शिक्षण और गैर-शिक्षण (तकनीकी) पद बनाने का संकल्प लिया है:

एस.

की संख्या

का

पैमाना

पद का नाम

नहीं।

पद

भुग

तान करें।

1

Rs.2

200

4

इलेक्ट्रानिक्स में व्याख्याता और

संचार इंजीनियरिंग

40

00

कंप्यूटर विज्ञान में व्याख्याता

2 .

2

Rs.2

200

& इंजीनियरिंग

40

00

पॉलिमर में व्याख्याता

Rs.2

200

2

3 .

इंजीनियरिंग

40

00

मैकेनिकल में व्याख्याता

4 .

2

Rs.2

200

इंजीनियरिंग

40

00

1

गणित में व्याख्याता

Rs.2

200

5 .

40

00

6 .

रसायन

व्याख्याता

में

1

Rs.2
200

40
00

इंजीनियरिंग

की संख्या

का
पैमाना

एस. नं.

पद का नाम

गैर-शिक्षण पद

पद

भुग
तान करें।

कार्यशाला प्रशिक्षक जीआर। II.

1

1

Rs.14
00

इलेक्ट्रानिक्स और

230
0

संचार इंजीनियरिंग

कार्यशाला प्रशिक्षक जीआर। II.

1

रु.
1400

2 .

कंप्यूटर विज्ञान और

230
0

इंजीनियरिंग

1

3 .

प्रयोगशाला प्रशिक्षक Gr.II

रु.
1400

पॉलिमर इंजीनियरिंग

230
0

कार्यशाला प्रशिक्षक जीआर। II.

1

Rs.14
00

4 .

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

230
0

प्रयोगशाला सहायक/व्यापारी

1

5 .

Rs.8
25

केमिकल इंजीनियरिंग

1250 अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

उपरोक्त सभी पदों का खर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्व-सृजित निधि से पूरा किया जाएगा। प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय के तहत थोडुपुड़ा।

उपरोक्त शिक्षण पद तीन केंद्रों और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीच अंतर-हस्तांतरणीय हैं।

थोडुपुड़ा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर।

तदनुसार आदेश जारी किए जाते हैं।

D. कुछ अपीलार्थियों को इसके अनुसार व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था

दिनांकित 15.07.1996 अधिसूचना के संदर्भ में किए गए चयन के लिए, जबकि कुछ का चयन दिनांकित 05.08.1997 प्रस्ताव के संदर्भ में बनाए गए अतिरिक्त पदों के खिलाफ किया गया था। दृष्टांत के रूप में, अपीलार्थी सं. 1 के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग। 1 यह निम्नानुसार थाः

" आदेश

निम्नलिखित नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थोडुपुड़ा।

श्री. एम. ए. अब्दुल हकीम

मंझिलुल करम

थलांडू पी. ओ.

एराट्टुपेट्टा-686 580

वेतनमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया जाना Rs.2200-4000/- W. E. F. 26.11.97 FN के किसी एक पद के विरुद्ध

ऊपर पढ़े गए यू. ओ. के माध्यम से बनाए गए व्याख्याता।

उपरोक्त नियुक्ति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की प्रतिमा 1991 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

तदनुसार आदेश जारी किए जाते हैं।

ई. 10.03.1998 पर, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत शिक्षण/तकनीकी पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक और अधिसूचना जारी की। इन पदों को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज की चार इकाइयों के बीच हस्तांतरणीय बताया गया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ

इंजीनियरिंग, थोडुपुड़ा, एडप्पल्ली, मन्नानम और पठानमथिट्टा में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज के क्षेत्रीय केंद्र।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में व्याख्याताओं के पद थे। इसके अलावा, गणित में व्याख्याताओं के तीन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो तीन साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर थे, लेकिन स्थायी बनाए जाने की संभावना थी। फिर से, विश्वविद्यालय के कुलपति से उचित मंजूरी के बाद, व्याख्याताओं के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई। अपीलार्थी 2 और 4 का चयन चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में व्याख्याताओं के रूप में किया गया था

क्रमशः। इसके बाद, विश्वविद्यालय द्वारा अपीलार्थी 1 और 5 के संबंध में 16.06.1999 पर आदेश जारी किए गए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में व्याख्याताओं के रूप में परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

एफ. विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक आदेश के तहत, गैर-शिक्षण (तकनीकी) कर्मचारियों के लिए केरल सरकार वेतन संशोधन, 1997 के लाभ अपीलार्थियों के साथ नियुक्त किए गए लोगों को दिए गए थे। केरल सरकार ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लिए वेतन के संशोधित पैमाने को लागू करने के लिए एक आदेश जारी किया। इसके बाद विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षकों सहित शिक्षकों के लिए यू. जी. सी./ए. आई. सी. टी. ई. वेतन संशोधन को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 23.03.2001 पर एक आदेश जारी किया गया। हालाँकि, इन वेतन संशोधनों को 01.01.1996 से प्रभावी बनाने के बजाय, प्रभाव 01.01.2001 से दिया गया था। इस आदेश में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षकों को "3 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त" के रूप में वर्णित किया गया है।

जी. इसके तुरंत बाद, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य

इंजीनियरिंग ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 18.04.2001 पर सूचित किया कि महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक अस्थायी नहीं थे और उनकी नियुक्तियां विश्वविद्यालय के कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित थीं। पत्र का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार थाः

" ऊपर रेफरी के रूप में उद्धृत जी. ओ. के अनुसार (2) राज्य में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संशोधित ए. आई. सी. टी. ई. मानक 1.1.1996 से लागू किए गए हैं। ऊपर उल्लिखित यू. ओ. में संदर्भ (1) के रूप में यह कहा गया है कि ए. आई. सी. टी. ई. वेतन संशोधन विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, थोडुपुड़ा के शिक्षकों के लिए लागू किया गया है, जिन्हें 01.01.2001 से तीन या अधिक वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

यह ध्यान दिया जा सकता है कि महाविद्यालय में शिक्षक अस्थायी नहीं हैं और उनके नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि उनके

विश्वविद्यालय में नियुक्ति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के 1991/1997 कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। इसलिए ऊपर उल्लिखित यू. सी. ई. टी. आधारित यू. सी. ई. टी. में वेतन के संशोधित ए. आई. सी. टी. ई. मानकों को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर अनुकूल रूप से विचार करने और आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है

जल्द से जल्द "।

ज) उपकुलपति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले अपीलार्थी

01.06.2001 पर विश्वविद्यालय के बाद एक और प्रतिनिधित्व

06.05.2002 कि वे विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक थे और ए. आई. सी. टी. ई. वेतन संशोधन डब्ल्यू. ई. एफ. के हकदार थे। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ओ. पी. के रूप में एक याचिका दायर की। (ग) 2003 का <आई. डी. 2 अन्य बातों के साथ-साथ दिनांकित 23.03.2001 आदेश और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में पारित प्रस्तावों को रद्द करने के लिए प्रार्थना करता है क्योंकि अपीलकर्ताओं को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।

I) याचिका का विरोध करते हुए, विश्वविद्यालय ने विभिन्न चरणों में जवाब में चार हलफनामे दायर किए। विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया रुख यह था कि

स्कूल ऑफ टेक्निकल के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और

अनुप्रयुक्त विज्ञान एक स्व-वित्तपोषित संस्थान था; स्व-वित्तपोषित संस्थानों के लिए सरकार/अखिल भारतीय परिषद से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था; केवल स्व-वित्तपोषित संस्थानों से उत्पन्न आय थी शिक्षण और गैर-शिक्षण के बुनियादी ढांचे और पारिश्रमिक के लिए उपयोग किया जाता है

शिक्षण कर्मचारी; कि विश्वविद्यालय के कानूनों के तहत 20 विभाग सूचीबद्ध थे और स्व-वित्तपोषित संस्थान इसका हिस्सा नहीं थे। यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा स्व-वित्तपोषित संस्थानों के शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोई सेवा शर्तें तैयार नहीं की गई थीं और ये क़ानून केवल निम्नलिखित के संबंध में लागू थेः विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, न कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों को। जनवरी 2007 में दायर किए गए हलफनामे में, पैराग्राफ 19 में निम्नानुसार दावा किया गया थाः

" 19. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 में निहित परिभाषा खंड "विश्वविद्यालय के शिक्षक" का अर्थ केवल महात्मा गांधी विश्वविद्यालय क़ानून 1997 के अध्याय 42 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विभागों के शिक्षक हैं। इसकी व्याख्या स्व-वित्तपोषित संस्थान के शिक्षक के रूप में नहीं की जा सकती है। ये संस्थान क़ानून में शामिल नहीं हैं। यह [2019] 3 एस. सी. आर. के लिए उपयुक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ध्यान दें कि अधिनियम के लागू होने के समय केरल सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा स्व-वित्तपोषित संस्थान शुरू नहीं किए गए थे। द. राज्य विधानमंडल ने अधिनियम 1985 (1995 का अधिनियम 9) में संशोधन किया है और कुछ प्रावधानों को गैर-सहायता प्राप्त मामलों के मामले में शामिल किया गया है।

महाविद्यालय "।

नवंबर, 2011 में दायर अपने हलफनामे में विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय की सांविधिक वित्त समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बजट अनुमानों को मंजूरी देते समय एक अतिरिक्त मद पर भी विचार किया गया, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थोडुपुड़ा में शिक्षण/गैर-शिक्षण पदों के सृजन से संबंधित था। उक्त बैठक में तीन साल की अवधि के लिए उक्त पदों को सृजित करने की सिफारिश की गई थी। हालाँकि, विश्वविद्यालय द्वारा पारित 25.08.1997 दिनांकित आदेश में प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया था और जिसे संदर्भित किया गया था वह 05.08.1997 पर पारित विश्वविद्यालय के सिंडिकेट का प्रस्ताव था। जे) केरल राज्य द्वारा जवाब में हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वेतन संशोधन के संबंध में जारी किया गया सरकारी आदेश स्व-वित्तपोषित संस्थानों द्वारा शिक्षकों पर लागू नहीं था; कि ऐसे स्व-वित्तपोषित में संकाय की नियुक्ति के संबंध में राज्य द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

संस्थान और यह कि सरकार का प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं था

और कर्मचारियों का निर्धारण।

के) उपरोक्त रिट याचिका की अनुमति एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई थी

उच्च न्यायालय ने 08.01.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विश्वविद्यालय के क़ानूनों में केवल नियमित नियुक्तियों पर विचार किया गया था और जब भी कोई नियुक्ति अस्थायी मानी जाती थी अधिसूचनाओं ने उस ओर से विशिष्ट संदर्भ दिया, जबकि अधिसूचना दिनांक 15.07.1996 और 10.03.1998 के तहत अधिसूचित सभी रिक्तियों को अस्थायी नहीं कहा गया था। एकल न्यायाधीश ने विस्तार को संदर्भित किया। पी 26 जो अपीलार्थियों सहित संकाय के संबंध में ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा तैयार किए गए मौजूदा तकनीकी संस्थान के प्रगति विवरण की प्रति थीः

" 13. एक्स. पी26 मौजूदा प्रगति रूपरेखा की प्रति है।

अनुमोदित तकनीकी संस्थान। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा भी यही तैयार किया गया था। Ext.P26 में अनुलग्नक-II है, जो शिक्षण संकायों का विवरण देता है। वहाँ, सभी याचिकाकर्ताओं को स्थायी संकायों के रूप में दिखाया गया था। यह इंगित करेगा कि प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से संबद्धता, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने अनुमान लगाया है

स्थायी कर्मचारियों के रूप में याचिकाकर्ता। ”

अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

रिट याचिका को अनुमति देते हुए एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया:

" एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण पदों पर विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता बाद के वेतन संशोधन लाभों के भी हकदार होंगे। संबंधित प्राधिकारी वेतन बढ़ाने के लिए औपचारिक आदेश जारी करेगा।

याचिकाकर्ताओं को तीन महीने की अवधि के भीतर पुनरीक्षण लाभ।

एल) एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से व्यथित, विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2014 की रिट अपील दायर की।

अदालत। अपील के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 01.02.2014 के आदेश के अनुसार जारी किए गए निर्देशों के संदर्भ में, विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए अपने बजट में विश्वविद्यालय निधि में स्व-वित्तपोषित संस्थानों की आय और व्यय को शामिल किया। अगले वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए भी यही स्थिति दोहराई गई।

एम) 20.11.2015 पर डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील की अनुमति दी गई थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 2 (30) के अर्थ के भीतर विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे; कि वे विश्वविद्यालय के क़ानूनों के अध्याय III द्वारा शासित नहीं थे और स्व-वित्तपोषित संस्थानों के पूरे खर्च को पूरा करने के लिए धन का स्रोत इस प्रकार से उत्पन्न धन था

वित्तीय संस्थान छात्रों से एकत्र की गई फीस से बाहर निकलते हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल यह कथन कि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के क़ानूनों द्वारा शासित होंगे, किसी को भी नहीं देगा।

अपीलार्थियों को लाभ और यह कि विश्वविद्यालय को अपीलार्थियों के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समान व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने हालांकि विश्वविद्यालय के वकील का बयान दर्ज किया कि विश्वविद्यालय 01.01.1996 से अपीलार्थियों को वेतन संशोधन का लाभ देने के लिए तैयार था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय की ओर से चुनौती से निपटने के दौरान इस समीक्षा याचिका की विचाराधीनता उसी स्व-वित्तपोषित संस्थान के कुछ अन्य शिक्षकों को राहत देने वाले न्यायालय, विश्वविद्यालय द्वारा 2011 की रिट अपील No.727 और अन्य संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 07.12.2016 पर खारिज कर दिया था। यह देखा गया:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 19. यह विश्वविद्यालय का स्वीकृत मामला है कि स्व-वित्तपोषित संस्थानों की स्थापना ने शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस तरह का पहला

विज्ञापन Ext.P1 दिनांकित 20.12.1993 W.A.727/11 में है और इसके बाद कई अन्य अधिसूचनाएँ आई हैं। Ext.P1, अन्य सभी अधिसूचनाओं की तरह, इसके द्वारा संतुष्ट होने के लिए योग्यताएँ थीं उम्मीदवार। अधिसूचना के अनुसरण में, योग्य आवेदकों पर विचार किया गया और एक चयन प्रक्रिया के अधीन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चुनिंदा सूचियों को पहले से ही एक्सट्स के रूप में संदर्भित किया गया। पी22 (ए) और (बी)। सिंडिकेट ने चयन सूचियों को मंजूरी दी और नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की। यह उस आधार पर था कि डब्ल्यू. ए. 727/11 में पहले प्रतिवादी को अनुलग्नक-I आदेश, दिनांक 21.04.1995 द्वारा नियुक्त किया गया था। अन्य रिट अपीलों में प्रतिवादियों और डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं को चुनौती देना। (ग) 2148/11 ने भी सेवा में प्रवेश किया।

ओ) 2011 की रिट अपील No.727 में दिनांकित 2.2016 डिवीजन बेंच के फैसले और अन्य संबंधित मामलों को चुनौती दी गई ई. विश्वविद्यालय विशेष अवकाश याचिकाओं में (2017 की डायरी No.10974)

संबंधित मामले) को इस न्यायालय द्वारा 03.07.2017 पर खारिज कर दिया गया था।

पी) 2016 की पुनर्विचार याचिका No.151 को इसके बाद लिया गया।

ध्यान देना। उच्च न्यायालय को कोई त्रुटि नहीं मिली

उग्रता और पुनरीक्षण याचिका को दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था

. 2017 .

5. अपीलार्थी, व्यथित होते हुए, 2015 और 20.09.2017 पर डिवीजन बेंच द्वारा पारित पूर्वनिर्धारित निर्णय और आदेशों की शुद्धता को चुनौती दे रहे हैं। इस न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में,

विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया विवरण इस प्रकार है:

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय के नियमित/स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन प्रावधानों को लागू किया गया है।

और दक्षता उस समय स्व-वित्तपोषण संस्थानों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम और विनियम नहीं थे। जिस पद के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, वह पद था जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, वे "स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लाइड साइंसेज" के तहत पद थे जो कि स्व-वित्तपोषण संस्थान है। उन संस्थानों के तहत पद अस्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे सरकार से सहमति प्राप्त करने के बाद नहीं बनाए जाते हैं।

अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

जो विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक था। स्व-वित्तपोषित संस्थान के लिए विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता जो

स्वयं विश्वविद्यालय से संबद्ध होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि शिक्षकों को स्व-वित्तपोषण के लिए नियुक्त किया गया है। संस्थान विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक हैं।

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से दलीलों का नेतृत्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. गोपकुमारन नायर और श्री सिद्धार्थ को सुना है।

2011 की रिट अपील No.727 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस न्यायालय द्वारा जिस निर्णय की पुष्टि की गई थी, जहां एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय ने अपने रुख को दोहराया जो इस न्यायालय में दायर जवाब सहित लगातार लिया गया था। हालाँकि, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था 2011 की रिट अपील No.727 में निर्णय और इन दोनों निर्णयों का मिलान कैसे किया जा सकता है। अपीलार्थियों की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में, उच्च न्यायालय में अग्रिम प्रस्तुतियों को दोहराने के अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए कॉलेज के लिए AICTE द्वारा दी गई मंजूरी के विस्तार की मांग की गई थी, को भी रिकॉर्ड में रखा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ भी दाखिल की गईं जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत की गईं।

आई. डी. 1 पर आयोजित सिंडिकेट की बैठक के कार्यवृत्त, जिसमें विभिन्न विषयों में स्व-वित्तपोषित विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। कार्यवृत्त के अनुसार, स्व-वित्तपोषण योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को एक व्यवहार्य इकाई होना था।

7. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, तत्काल मामले को मोटे तौर पर चार खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः -

क) विश्वविद्यालय द्वारा दिनांकित 23.03.2001 के आदेश से पहले लिया गया रुख जिसके तहत शिक्षकों को वेतन संशोधन 01.01.1996 के बजाय 01.01.2001 से दिया गया था और जिसमें विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शिक्षकों को "अस्थायी रूप से" बताया गया था।

तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए नियुक्ति।

ख) दिनांकित 23.03.2001 आदेश में लिए गए रुख का प्रभाव।

ग) विश्वविद्यालय द्वारा ए. आई. सी. टी. ई. जैसे प्राधिकरणों के समक्ष और बाद में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने में लिया गया रुख, और

इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में व्याख्याता बिना किसी योग्यता के थे, जबकि उसी संकल्प द्वारा ज्यामितीय ड्राइंग, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और मानविकी जैसे कुछ विषयों में शिक्षकों के पदों को अनुबंध या अंशकालिक आधार पर भरा जाना था। विश्वविद्यालय द्वारा 10.07.1996 पर जारी आदेश 06.07.1996 के संकल्प के अनुरूप था। इसके बाद शिक्षकों के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी अधिसूचना भी पहले के प्रस्ताव और विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुरूप थी। स्क्रीनिंग के गठन के लिए कुलपति द्वारा दी गई मंजूरी या चयन के लिए समितियों की जांच करना भी इसी भावना से था। इस प्रकार, किसी भी स्तर पर, इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षकों के पदों को अनुबंध या अंशकालिक आधार पर संदर्भित या वर्णित नहीं किया गया था। इंजीनियरिंग विषयों में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 05.08.1997 पर आयोजित बैठक में सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव में भी यही विचार रखा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा पारित 25.08.1997 का आदेश फिर से 05.08.1997 पर सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रतिबिंब था। अपीलार्थियों की नियुक्ति अधिसूचना के संदर्भ में किए गए चयन के अनुसार की गई थी

दिनांकित 15.07.1996 या संकल्प दिनांकित 05.08.1997। उनके नियुक्ति आदेशों में कुछ भी उल्लेख नहीं था कि नियुक्तियां अनुबंध या अंशकालिक आधार पर थीं। नियुक्ति आदेशों में वास्तव में कहा गया था कि नियुक्ति विश्वविद्यालय के कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। बाद की अधिसूचना दिनांक 10.03.1998 ने आगे के अतिरिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन सभी दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थियों की नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर या सीमित अवधि के लिए नहीं थीं। जब भी नियुक्तियाँ सीमित अवधि के लिए या अनुबंध के आधार पर होनी थीं, तो संबंधित संकल्प या अधिसूचना में हमेशा एक स्पष्ट शर्त रखी जाती थी। अभिलेख पर तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थियों की नियुक्तियां स्थायी आधार पर की गई थीं और उन्हें नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. जमा करने में सही हैं।

वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

कि उनकी नियुक्तियाँ मूल आधार पर थीं और अनुबंध के आधार पर या सीमित अवधि के लिए नहीं थीं। पहले खंड के तथ्य,

इसलिए, वे निश्चित रूप से अपीलार्थियों के पक्ष में हैं। 9. विश्वविद्यालय द्वारा 04.08.1999 पर जारी आदेश ने केरल सरकार के वेतन संशोधन, 1997 के लाभों को गैर-शिक्षण (तकनीकी) कर्मचारियों तक बढ़ा दिया। सरकार द्वारा जारी आदेश

केरल ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लिए वेतन के संशोधित मानकों को लागू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. की सिफारिशों के अनुरूप संशोधन के विस्तार पर विचार किया।

संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार बनाए गए थे, लाभों के विस्तार के दायरे को सीमित करने का कोई कारण नहीं था। यहां तक कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य ने दिनांकित 18.04.2001 पत्र में चिंता व्यक्त की कि कॉलेज में शिक्षक अस्थायी नहीं हैं और अन्यथा वे इसके विस्तार के हकदार होंगे। कुछ वित्तीय लाभ। इस संबंध में उनका पत्र काफी वाक्पटु है। विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदम और उसके बाद अपनाया गया रुख इस आधार पर है कि स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक स्व-वित्तपोषित संस्थान था जिसे सरकार/अखिल भारतीय परिषद से कोई अनुदान नहीं मिल रहा था और यह कि यह विश्वविद्यालय के कानूनों के तहत सूचीबद्ध 20 विभागों का हिस्सा नहीं था। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कब स्कूल

विश्वविद्यालय या उसके सक्षम निकायों द्वारा एक अलग संस्थान के रूप में ऐसे तकनीकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय की स्थापना के लिए कोई संकल्प या निर्णय लिया गया था। विश्वविद्यालय ने एआईसीटीई से सशर्त मंजूरी प्राप्त की थी।

31.05.1996 और उसके बाद उक्त पदों के खिलाफ पदों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए थे। विश्वविद्यालय खुद को अलग नहीं कर सकता है और दावा करता है कि स्कूल ऑफ टेक्निकल एंड एप्लाइड साइंसेज के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं है।

10. अब हम तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वर्ष 2001 में विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह का रुख अपनाने के बाद भी, ए. आई. सी. टी. ई. के साथ अपने संचार में, हर स्तर पर संकाय की स्थिति में

उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को हमेशा स्थायी संकाय के रूप में संदर्भित और वर्णित किया जाता था। मौजूदा तकनीकी संस्थान की प्रगति रूपरेखा

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा तैयार किया गया जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित किया गया था, यह बहुत स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को स्थायी संकाय का हिस्सा दिखाया गया था। और विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी होने का अनुमान लगाया गया था। इसलिए विश्वविद्यालय की ओर से एक ही संकाय को अनुबंध के आधार पर या सीमित अवधि के लिए ब्रांड करना उचित नहीं होगा।

समय। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि वित्तीय वर्षों 2015-2016 और 2016-2017 के बजट के दौरान, स्व-वित्तपोषित संस्थानों की आय और व्यय को विश्वविद्यालय निधि में शामिल किया गया था और इस प्रकार स्व-वित्तपोषित संस्थान विश्वविद्यालय के दायरे में थे।

11. इन तीन खंडों में दिए गए तथ्य केवल इस ओर इशारा करते हैं -

इसी तरह, लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखा गया दस्तावेज़, यानी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट का संकल्प। दिनांकित 22.12.1995 बैठक में पारित होने का फिर से कोई असर नहीं होगा। यह एक प्रस्ताव था जिसे तब पारित किया गया था जब एआईसीटीई की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई थी। अनुमोदन दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदम, जब पद बनाए गए थे, आवेदन अब्दुल हकीम एम. ए. और ओ. आर. एस. पर विचार करने की सामग्री है।

वी. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

संबंधित उम्मीदवारों से आमंत्रित किए गए थे और व्यक्तिगत नियुक्तियां की गई थीं बनाए गए थे। जहाँ तक रोजगार की शर्तों का संबंध है, वे कदम किसी भी योग्यता या प्रतिबंध का संकेत नहीं देते हैं। इसलिए, हमें अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए रुख की पुष्टि कर सके।

12. अंत में, हमें इस मामले की एक विशिष्ट विशेषता पर ध्यान देना चाहिए कि खंड पीठ द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ निर्णय देने के बाद भी

वर्तमान मामला और जब उनकी समीक्षा डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित थी, तो अलग से स्थापित कार्यवाही में,

उसी उच्च न्यायालय ने उसी स्व-वित्तपोषित संस्थान के कुछ अन्य शिक्षकों द्वारा उठाई गई इसी तरह की चुनौती को स्वीकार किया था और अपने दिनांक 07.12.2016 के आदेश द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 07.12.2016 आदेश की पुष्टि की गई और उससे विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हम केवल इस तथ्य पर आगे नहीं बढ़े हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित खंड पीठ के निर्णय की पुष्टि होने के बाद, इस मामले में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने रिकॉर्ड को पूरी तरह से देखा है, जो रिकॉर्ड, हमारे विचार में, पूरी तरह से अपीलार्थियों की दिशा और उनके पक्ष में इंगित करता है। इसलिए हमें अपीलार्थियों की दलीलों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

13. इसलिए, हम इन अपीलों को अपील के तहत निर्णय और आदेशों को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं और द्वारा पारित दिनांक 08.01.2014 आदेश को बहाल करते हैं।

ओ. पी. में एकल न्यायाधीश 2003 का (सिविल) No.3818।

14. कोई लागत नहीं।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 4255-4256 2018 का

(जैकब के डेनियल बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, प्रियदर्शिनी हिल्स और अन्र) चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था

नियुक्ति अस्थायी होने के कारण, हम इस मामले को अलग करते हैं और निर्देश देते हैं कि इसे उचित समय पर उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

अपीलों और

याचिकाओं की अनुमति

कल्पना के. त्रिपाठी

सूचीकरण के लिए

अलग किया गया।